

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: 329730 / XXX(2)/2025 ई0 72801
देहरादून: दिनांक 11 सितम्बर, 2025

अधिसूचना संख्या: 329519 / XXX(2) / 2025-E 72801, दिनांक 11 सितम्बर, 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी एवं कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।।
13. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून
14. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली को मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
18. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. गार्ड फाईल।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

Digitally signed by
 Lalit Mohan Rayal
 Date: 11-09-2025
 15:17:49

(ललित मोहन रयाल)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

संख्या: 329519 /XXX(2)/2025-E 72801

देहरादून: 11 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में वर्दीधारी सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया विहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात:-

उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 है;
		(2) यह नियमावली सीधी भर्ती के समूह ‘ग’ के वर्दीधारी सिपाही के परिशिष्ट-“क” में उल्लिखित पदों पर लागू होगी;
		(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
अध्यारोही प्रभाव	2.	यह नियमावली, किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।
परिभाषाएं	3.	इस नियमावली में, जब तक कि विषय या संदर्भ में प्रतिकूल बात न हो—
		(क) ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ से संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
		(ख) ‘आयोग’ से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;
		(ग) ‘संविधान’ से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
		(घ) ‘सरकार’ से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
		(ङ) ‘राज्यपाल’ से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

- (च) 'अन्य पिछड़ा वर्गों' से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है।
- रिक्तियों का अवधारण** 4. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही अवधारित करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित चयन संस्थान/आयोग को रिक्तियों की सूचना देगा।
- आरक्षण** 5. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
- राष्ट्रीयता** 6. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी—
- (क) भारत का नागरिक हो; या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या
- (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो;
- परन्तु उक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी— जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

- | | | |
|-------------------------|----|--|
| शैक्षणिक अर्हता | 7. | सेवा में सीधी भर्ती के पदों हेतु शैक्षिक अर्हता परिशिष्ट—“क” में उल्लिखित पदों की संगत सेवा नियमावली के अनुसार होगी। |
| अनिवार्य/वांछनीय अर्हता | 8. | सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड लोक सेवा की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगी। |
| अधिमानी अर्हता | 9. | अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—
(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो; या |

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10.

सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

चरित्र

11.

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिये उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी:- संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12.

पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हों या जिसके एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 13.

- (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप, सम्बन्धित चयन संस्था/आयोग द्वारा, आयोग की वेबसाइट पर तथा ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।
- (2) आयोग, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र, उपनियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर, आमंत्रित करेगा, और रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा:—
 - (एक) आयोग अपनी वेबसाइट पर तथा ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;
 - (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके और;
 - (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।
- (3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियाँ अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
- (4) यदि शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों, तो अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिए विहित न्यूनतम शारीरिक मानकों को (परिशिष्ट-“ख(1)”) पूरा करते हों। शारीरिक दक्षता परीक्षा परिशिष्ट-“ख(2)” के अनुसार ली जाएगी और एक पद के सापेक्ष 10 गुना तक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

- (5) शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो कि 100 अंकों की होगी, में सफल अभ्यर्थियों हेतु चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों, यथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (6) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित जानकारी, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण का एक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु $1/4$ ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग/चयन संस्था द्वारा तैयार करते हुए शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाएगा।
- (7) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (8) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (9) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) चयन संस्था/आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- (10) शारीरिक दक्षता परीक्षा का कुल अंकों में 25 प्रतिशत तथा लिखित परीक्षा का 75 प्रतिशत का भारांश होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी

कुल योग के बराबर—बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा और यदि उनके लिखित परीक्षा में भी समान अंक हैं, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि आयु में भी अभ्यर्थी समान हों, तो नियम 9 के अनुसार चयन सूची में वरीयता दी जायेगी।

शुल्क/फीस

14.

चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन संस्था/आयोग को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक और सही उत्तरों का प्रकाशन तथा प्रदर्शन

15.

(1) जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक व शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों का कुल योग चयन संस्था/आयोग की वेबसाइट और चयन संस्था/आयोग के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा तथा यथास्थिति शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को वर्गीकृत करते हुए) अवरोही क्रम में (Descending Order) चयन संस्था/आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

व्यावृत्ति

16.

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

कठिनाईयों को दूर 17.
करने की शक्ति

राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित व्यवहार या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shailesh Bagauli
Date: 11-09-2025
09:41:01

(शैलेश बगौली)
सचिव।

परिशिष्ट-“क”

क्र० सं०	पदनाम	विभाग का नाम	वेतन मैट्रिक्स/वेतन लेवल (रूपये में)
1.	आरक्षी पुलिस/आरक्षी पी०ए०सी०/आरक्षी आई०आर०बी०	गृह विभाग	21700-69100 (लेवल-3)
	अग्निशामक		
	बन्दी रक्षक		
2.	वन आरक्षी	वन विभाग	21700-69100 (लेवल-3)
3.	आबकारी सिपाही	आबकारी विभाग	21700-69100 (लेवल-3)
4.	प्रवर्तन सिपाही	परिवहन विभाग	21700-69100 (लेवल-3)
5.	सचिवालय/विधान भवन रक्षक	सचिवालय प्रशासन विभाग	21700-69100 (लेवल-3)

परिशिष्ट-“ख(1)”-शारीरिक मानक

इवेन्ट का नाम	पदनाम/विभाग का नाम													
	आरक्षी पुलिस/आरक्षी पी०ए०सी०/आरक्षी आई०आर०बी० (गृह विभाग)		अग्निशामक (गृह विभाग)		बन्दी रक्षक (गृह विभाग)		वन आरक्षी (वन विभाग)		आबकारी सिपाही (आबकारी विभाग)		प्रवर्तन सिपाही (परिवहन विभाग)		सचिवालय/विधान भवन रक्षक (सचिवालय प्रशासन विभाग)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
ऊँचाई मानक(सेमी)	सामान्य / एस.सी. / ओ०बी० सी०		सामान्य / एस.सी. / ओ०बी० सी०		सामान्य / एस.सी. / ओ०बी० सी०		सामान्य / एस.सी. / ओ०बी० सी०		सामान्य / एस.सी. / ओ०बी० सी०		सामान्य / एस.सी. / ओ०बी० सी०		सामान्य / एस.सी. / ओ०बी० सी०	
	165	152	165	152	165	152	165	152	165	152	165	152	165	152
	एस०टी०		एस०टी०		एस०टी०		एस०टी०		एस०टी०		एस०टी०		एस०टी०	
	157.5	147	157.5	147	157.5	147	157.5	147	157.5	147	157.5	147	157.5	147
	पर्वतीय		पर्वतीय		पर्वतीय		पर्वतीय		पर्वतीय		पर्वतीय		पर्वतीय	
	160	147	160	147	160	147	160	147	160	147	160	147	160	147
सीने की माप(सेमी)	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—
बिना फुलाए	78.8		78.8		78.8		78.8		78.8		78.8		78.8	
	एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय	
	76.5		76.5		76.5		76.5		76.5		76.5		76.5	
फुलाने पर	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—	सामान्य / एस०सी० / ओ०बी० सी०	—
	83.8		84.3		83.8		83.8		83.8		83.8		83.8	
	एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय		एस०टी० / पर्वतीय	
	81.5		82		81.5		81.5		81.5		81.5		81.5	

नोट:—शारीरिक वजन 45 कि०ग्रा० न्यूनतम (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

परिशिष्ट-“ख(2)”-शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड

	पदनाम/विभाग का नाम													
	आरक्षी पुलिस/आरक्षी पी०ए०सी०/आरक्षी आई०आर०बी० (गृह विभाग)		अग्निशामक (गृह विभाग)		बन्दी रक्षक (गृह विभाग)		वन आरक्षी (वन विभाग)		आबकारी सिपाही (आबकारी विभाग)		प्रवर्तन सिपाही (परिवहन विभाग)		सचिवालय/विधान भवन रक्षक (सचिवालय प्रशासन विभाग)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
क्रिकेट बॉल श्रो	दूरी(मी)/ अंक 50-10 55-12 60-14 65-16 70-20	दूरी(मी)/ अंक 16-10 20-12 24-14 28-16 32-20	दूरी(मी)/ अंक 50-10 55-12 60-14 65-16 70-20	दूरी(मी)/ अंक 16-10 20-12 24-14 28-16 32-20	दूरी(मी)/ अंक 50-10 55-12 60-14 65-16 70-20	दूरी(मी)/ अंक 16-10 20-12 24-14 28-16 32-20	दूरी(मी)/ अंक 50-10 55-12 60-14 65-16 70-20	दूरी(मी)/ अंक 16-10 20-12 24-14 28-16 32-20	दूरी(मी)/ अंक 50-10 55-12 60-14 65-16 70-20	दूरी(मी)/ अंक 16-10 20-12 24-14 28-16 32-20	दूरी(मी)/ अंक 50-10 55-12 60-14 65-16 70-20	दूरी(मी)/ अंक 16-10 20-12 24-14 28-16 32-20	दूरी(मी)/ अंक 50-10 55-12 60-14 65-16 70-20	दूरी(मी)/ अंक 16-10 20-12 24-14 28-16 32-20
लम्बी कूद	दूरी(फीट) /अंक 13-10 14-12 15-14 16-16 17-18 18-20	दूरी(फीट) /अंक 08-10 09-12 10-14 11-16 12-18 13-20	दूरी(फीट) /अंक 13-10 14-12 15-14 16-16 17-18 18-20	दूरी(फीट) /अंक 08-10 09-12 10-14 11-16 12-18 13-20	दूरी(फीट) /अंक 13-10 14-12 15-14 16-16 17-18 18-20	दूरी(फीट) /अंक 08-10 09-12 10-14 11-16 12-18 13-20	दूरी(फीट) /अंक 13-10 14-12 15-14 16-16 17-18 18-20	दूरी(फीट) /अंक 08-10 09-12 10-14 11-16 12-18 13-20	दूरी(फीट) /अंक 13-10 14-12 15-14 16-16 17-18 18-20	दूरी(फीट) /अंक 08-10 09-12 10-14 11-16 12-18 13-20	दूरी(फीट) /अंक 13-10 14-12 15-14 16-16 17-18 18-20	दूरी(फीट) /अंक 08-10 09-12 10-14 11-16 12-18 13-20	दूरी(फीट) /अंक 13-10 14-12 15-14 16-16 17-18 18-20	दूरी(फीट) /अंक 08-10 09-12 10-14 11-16 12-18 13-20
चिनिंग अप (बीम)	कितनी बार/अंक 05-10 06-12 07-14 08-16 09-18 10-20	—	कितनी बार/अंक 05-10 06-12 07-14 08-16 09-18 10-20	—	कितनी बार/अंक 05-10 06-12 07-14 08-16 09-18 10-20	—	कितनी बार/अंक 05-10 06-12 07-14 08-16 09-18 10-20	—	कितनी बार/अंक 05-10 06-12 07-14 08-16 09-18 10-20	—	कितनी बार/अंक 05-10 06-12 07-14 08-16 09-18 10-20	—	कितनी बार/अंक 05-10 06-12 07-14 08-16 09-18 10-20	—
दौड़ व चाल (पुरुष-05 किमी) (महिला-02 किमी)	समय (मिनट / अंक 32-24 30-28 28-32 24-36 21-40 10-30	समय (मिनट / अंक 15-15 14-18 13-21 12-24 11-26 10-30	समय (मिनट / अंक 32-12 30-14 28-16 24-18 21-20 10-30	समय (मिनट / अंक 15-15 14-18 13-21 12-24 11-26 10-30	समय (मिनट / अंक 32-24 30-28 28-32 24-36 21-40 10-30	समय (मिनट / अंक 15-15 14-18 13-21 12-24 11-26 10-30	25 किमी दौड़- 4 घण्टे में	14 किमी दौड़- अधिकत म 4 घण्टे में	समय (मिनट / अंक 32-24 30-28 28-32 24-36 21-40 10-30	समय (मिनट / अंक 15-15 14-18 13-21 12-24 11-26 10-30	समय (मिनट / अंक 32-24 30-28 28-32 24-36 21-40 10-30	समय (मिनट / अंक 15-15 14-18 13-21 12-24 11-26 10-30	समय (मिनट / अंक 32-24 30-28 28-32 24-36 21-40 10-30	समय (मिनट / अंक 15-15 14-18 13-21 12-24 11-26 10-30

[illegible]

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of “the Constitution of India”, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 329519 dated 11 September, 2025 for general information.

Government of Uttarakhand

Personnel and Vigilance Section-2

No. 329520 /XXX(2)/2025-E 72801

Dehradun, Dated 11 September, 2025

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to allow to make the following Rules to prescribe the procedure for direct recruitment to the posts of Uniformed Constable in the State of Uttarakhand, namely:-

The Uttarakhand Uniformed Constable Posts Direct Recruitment Selection Procedure Rules, 2025.

Short title, commencement and extent	1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Uniformed Constable Posts Direct Recruitment Selection Procedure Rules, 2025. (2) They shall apply to direct recruitment for Group ‘C’ Uniformed Constable posts specified in Appendix ‘A’. (3) It shall come into force at once.
Overriding Effect	2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders for the time being in force.
Definitions	3. Unless there is anything repugnant in the subject or context, in these rules:- (a) "Appointing Authority" means the authority empowered to make appointments under the relevant service rules; (b) “Commission” means the Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission;

- (c) “Constitution” means the Constitution of India;
- (d) “Government” means the Government of Uttarakhand State;
- (e) “Governor” means the Governor of Uttarakhand;
- (f) "Other Backward Classes" means the other backward class of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (as applicable to the state of Uttarakhand) and as amended from time to time.

**Determination
of Vacancies**

of

4.

The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during a calendar year, including the number of reserved vacancies for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections, and other categories, in accordance with the applicable service rules, and notify the same to the Commission/Selection Institution.

Reservation

5.

Reservation for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and other categories shall be in accordance with the orders issued by the State Government from time to time.

Nationality

6. A candidate for direct recruitment must be-
- (a) a citizen of India; or
 - (b) a Tibetan refugee who came over to India before January 1, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
 - (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further that in the case of candidates belonging to category (b), a certificate of eligibility must also be issued by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that no certificate of eligibility under category (c) shall be valid for more than one year, and such a candidate shall be retained in service only if he/she obtains Indian citizenship within that period.

Note: Candidates who are required to obtain a certificate of eligibility but have not yet received or been refused the same may be provisionally allowed to appear in the examination or interview and may be appointed provisionally, subject to obtaining the certificate.

Educational Qualification

7. The educational qualifications for direct recruitment to the posts in the services shall be as per the relevant service rules

		of the posts mentioned in Appendix 'A'.
Essential/Desirable Qualifications	8.	Recruitment to the posts of direct recruitment in service shall be according to the Essential/Desirable Qualification for Recruitment of Group 'C' Post within the Purview of Uttarakhand Public Service Commission and outside the Purview of Public Service Commission Rules 2010, (as amended from time to time).
Preferential Qualifications	9.	A Candidate who has- (1) served in the territorial army for a minimum period of two years, or (2) obtained "B" or "C" certificate of National Cadet Corps, shall be given preference in recruitment to service being other things equal.
Age Limit	10.	A candidate must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st day of July of the calendar year in which vacancies are advertised by the Commission: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.
Character	11.	The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy himself on this point. Note- Person dismissed by the Union Government or a State Government or

Marital Status

- by a local authority or a Corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons Convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
12. A male candidate who has more than one wife living or such female candidate who has married a man already having a wife living or who has more than one husband living, shall not be eligible for appointment to a post in the service:
- Provided that the Government may, if satisfied that there exists a specific ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Procedure for Direct Recruitment

13. (1) The format of the application form for direct recruitment shall be published by the concerned Selection Institution/ Commission on its official website and in at least two widely circulated daily newspapers.
- (2) The Commission shall invite applications for direct recruitment in the format prescribed under sub-rule (1), and notify the vacancies through the following means:
- (i) By issuing an advertisement on the official website of the Commission and in widely circulated daily newspapers;
 - (ii) By displaying notices on the office notice board, and through advertisements via radio/television and other employment journals;
 - (iii) By notifying the vacancies to the Employment Exchange.
- (3) At the time of notifying the vacancies under sub-rule (2), the application format shall not be republished.

- (4) In cases where physical standards are prescribed as essential qualifications or as a method of recruitment, candidates shall be required to undergo the prescribed physical test and only those candidates who meet the minimum physical standards specified for the post (as detailed in Appendix 'B(1)') shall be permitted to appear for the Physical Efficiency Test. The Physical Efficiency Test shall be conducted in accordance with Appendix 'B(2)', and candidates up to ten times the number of vacancies shall be declared qualified for the written examination.
- (5) The Physical Standards and the Physical Efficiency Test shall carry a total of 100 marks. Candidates who qualify in these shall be required to appear for an objective-type written examination carrying 100 marks for the purpose of selection. The merit list shall be prepared on the basis of the total marks obtained in the written examination and other assessments, including the marks obtained in the Physical Efficiency Test.
- (6) The written examination shall consist of a single question paper carrying 100 marks, covering General Hindi, General Knowledge, General Studies, knowledge related to the State of Uttarakhand, and General Intelligence Test. Each correct answer shall carry one mark, and for every incorrect answer, one-fourth ($\frac{1}{4}$) of a mark shall be deducted. The detailed syllabus shall be prepared by the Commission/Selection Institution and shall be issued after obtaining the approval of the Government.
- (7) Candidates shall be allowed to retain the question booklet of the written examination after the conclusion of the examination.

- (8) The answer sheet of the written examination shall be in duplicate with a carbon copy, and the duplicate copy shall be permitted to be retained by the candidate.
- (9) After the written examination, the answer key shall be published on the website of the Commission/ Selection Institution.
- (10) The final merit list (selection list) shall be prepared by assigning 25% weightage to the marks obtained in the Physical Efficiency Test and 75% weightage to the marks obtained in the written examination. In the event of two or more candidates securing equal total marks, the candidate with higher marks in the written examination shall be placed higher in the merit list. If the marks in the written examination are also equal, the elder candidate in age shall be placed higher. If the age is also the same, preference shall be determined in accordance with rule 9.

Examination Fee

14.

Candidates shall be required to pay such fee to the Selection Institution/ Commission as may be prescribed by the Government/Selection Institution from time to time. No claim for refund of the fee shall be entertained.

Publication and Display of Candidates' Marks and Correct Answers

15.

- (1) Upon completion of the selection process and forwarding of the selection list to the Appointing Authority, the marks obtained by the selected candidates in the written examination shall be published on the website of the Selection Institution/Commission and displayed on its notice board.
- (2) The total marks obtained by all the candidates (categorizing the marks of written examination and physical efficiency test, as the case may be) shall

be displayed in the descending order on the website of the Selection Institution /Commission.

Saving

16. Nothing in these rules shall affect any reservations and other concessions required for the candidates belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Power to Remove Difficulties

17. The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in the implementation of any provision of these rules, issue such general or special orders as it may consider necessary or expedient in the interest of good practice or in the public interest.

By Order,

Digitally signed by
Shailesh Bagauli
Date: 11-09-2025
09:41:51

(Shailesh Bagauli)

Secretary.

Appendix-“A”

S.No.	Post Name	Department Name	Pay Scale/Pay Level (In Rupees)
1.	Police Constable/ Constable P.A.C./ Constable I.R.B.	Home Department	21700—69100 (Level-3)
	Fireman		
	Jail Warder		
2.	Forest Guard	Forest Department	21700—69100 (Level-3)
3.	Excise Constable	Excise Department	21700—69100 (Level-3)
4.	Enforcement Soldier	Transport Department	21700—69100 (Level-3)
5.	Secretariat/Vidhan Bhawan Guard	Secretariat Administrative Department	21700—69100 (Level-3)

Appendix–“ B(1)”–Physical Standards

Event Name	Post Name/Department Name													
	Police Constable / Constable P.A.C./ Constable I.R.B. (Home Departmnet)		Fireman (Home Departmnet)		Jail Warder (Home Department)		Forest Guard (Forest Department)		Excise Constable (Excise Departmnet)		Enforcement Soldier (Transport Department)		Secretariat/Vidhan Bhawan Guard (Secretariat Administrative Department)	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Height(in cm)	General / SC / OBC 165	152	General / SC / OBC 165	152	General / SC / OBC 165	152	General / SC / OBC 165	152	General / SC / OBC 165	152	General / SC / OBC 165	152	General / SC / OBC 165	152
	ST 157.5	147	ST 157.5	147	ST 157.5	147	ST 157.5	147	ST 157.5	147	ST 157.5	147	ST 157.5	147
	Hilly Area 160	147	Hilly Area 160	147	Hilly Area 160	147	Hilly Area 160	147	Hilly Area 160	147	Hilly Area 160	147	Hilly Area 160	147
Chest (in cm) Without Expansion	General / SC / OBC 78.8	–	General / SC / OBC 78.8	–	General / SC / OBC 78.8	–	General / SC / OBC 78.8	–	General / SC / OBC 78.8	–	General / SC / OBC 78.8	–	General / SC / OBC 78.8	–
	ST / Hilly Area 76.5		ST / Hilly Area 76.5		ST / Hilly Area 76.5		ST / Hilly Area 76.5		ST / Hilly Area 76.5		ST / Hilly Area 76.5		ST / Hilly Area 76.5	
With Expansion	General / SC / OBC 83.8	–	General / SC / OBC 84.3	–	General / SC / OBC 83.8	–	General / SC / OBC 83.8	–	General / SC / OBC 83.8	–	General / SC / OBC 83.8	–	General / SC / OBC 83.8	–
	ST / Hilly Area 81.5		ST / Hilly Area 82		ST / Hilly Area 81.5		ST / Hilly Area 81.5		ST / Hilly Area 81.5		ST / Hilly Area 81.5		ST / Hilly Area 81.5	

Note:–Minimum 45 Kg Weight (Only for Female Candidates)

Appendix–“B(2)”–Physical Efficiency Exam Criteria

Event Name	Post Name/Department Name													
	Police Constable / Constable P.A.C./ Constable I.R.B. (Home Department)		Fireman (Home Department)		Jail Warder (Home Department)		Forest Guard (Forest Department)		Sub Inspector (Excise Department)		Enforcement Soldier (Transport Department)		Secretariat/Vidhan Bhawan Guard (Secretariat Administrative Department)	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
Cricket Ball Throw	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers	Distance (meter)/ Numbers
	50–10	16–10	50–10	16–10	50–10	16–10	50–10	16–10	50–10	16–10	50–10	16–10	50–10	16–10
	55–12	20–12	55–12	20–12	55–12	20–12	55–12	20–12	55–12	20–12	55–12	20–12	55–12	20–12
	60–14	24–14	60–14	24–14	60–14	24–14	60–14	24–14	60–14	24–14	60–14	24–14	60–14	24–14
	65–16	28–16	65–16	28–16	65–16	28–16	65–16	28–16	65–16	28–16	65–16	28–16	65–16	28–16
	70–20	32–20	70–20	32–20	70–20	32–20	70–20	32–20	70–20	32–20	70–20	32–20	70–20	32–20
Long Jump	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers	Distance (feet)/ Numbers
	13–10	08–10	13–10	08–10	13–10	08–10	13–10	08–10	13–10	08–10	13–10	08–10	13–10	08–10
	14–12	09–12	14–12	09–12	14–12	09–12	14–12	09–12	14–12	09–12	14–12	09–12	14–12	09–12
	15–14	10–14	15–14	10–14	15–14	10–14	15–14	10–14	15–14	10–14	15–14	10–14	15–14	10–14
	16–16	11–16	16–16	11–16	16–16	11–16	16–16	11–16	16–16	11–16	16–16	11–16	16–16	11–16
	17–18	12–18	17–18	12–18	17–18	12–18	17–18	12–18	17–18	12–18	17–18	12–18	17–18	12–18
Chin Up (Beem)	Times/ Numbers	–	Times/ Numbers	–	Times/ Numbers	–	Times/ Numbers	–	Times/ Numbers	–	Times/ Numbers	–	Times/ Numbers	–
	05–10		05–10		05–10		05–10		05–10		05–10		05–10	
	06–12		06–12		06–12		06–12		06–12		06–12		06–12	
	07–14		07–14		07–14		07–14		07–14		07–14		07–14	
	08–16		08–16		08–16		08–16		08–16		08–16		08–16	
	09–18		09–18		09–18		09–18		09–18		09–18		09–18	
Running and Walking	Time (min)/ Numbers	Time (min)/ Numbers	Time (min)/ Numbers	Time (min)/ Numbers	Time (min)/ Numbers	Time (min)/ Numbers	25 Km– in 04 hours	14 Km–in maximum 04 hours	Time (min)/ Numbers	Time (min)/ Numbers	Time (min)/ Numbers	Time (min)/ Numbers	Time (min)/ Numbers	Time (min)/ Numbers
	32–24	15–15	32–24	15–15	32–24	15–15			32–24	15–15	32–24	15–15	32–24	15–15
	30–28	14–18	30–28	14–18	30–28	14–18			30–28	14–18	30–28	14–18	30–28	14–18

[illegible]